



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15862

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1749/2026

संध्या देवी और 2 अन्ययाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: कु. अंजना

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:- "i) प्रतिवादी संख्या 2 को तहसीलदार, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 3439/2022 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202205310308439 (संध्या बनाम जनार्दन सिंह) धारा 34 यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।"
3. याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण करने की शक्ति यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33 के तहत आती है और इसका प्रयोग धारा 35 द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाना है। यह आगे यू.पी. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 द्वारा निर्देशित है। यू.पी. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का संदर्भ दिया जा सकता है जो इस प्रकार है:

"नियम 34. उद्घोषणा जारी करना [धारा 35(1)

(1) x x x x

(2) x x x x

(3) x x x x]

(4) x x x x

(5) x x x x

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(6) x x x x...

(7) तहसीलदार नामांतरण के निर्विवाद मामले को वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामांतरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो उसका कारण दर्ज किया जाएगा।”

(8) x x x x”

4. उपर्युक्त नियम यह दर्शाता है कि एक विवादित नामांतरण मामले को भी 90 दिनों की अवधि के भीतर तय किया जाना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश इसे 90 दिनों के भीतर निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो उसके कारणों को दर्ज करना होगा। इस मामले की आदेश-तालिका दर्शाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, और पिछले डेढ़ साल से मामले को बिना सुनवाई के स्थगित किया जा रहा है।
5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आदेश-तालिका को रिकॉर्ड पर भी रखा है। इसका अवलोकन करने पर पता चलता है कि मामले को बिना किसी प्रभावी आदेश पारित किए लापरवाही से स्थगित किया जा रहा है। या तो सामान्य तिथियां नियत की गई हैं या पोठासीन अधिकारी के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने या बार के सदस्यों द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण मामला स्थगित किया गया है। नामांतरण की कार्यवाही स्वाभाविक रूप से तत्काल प्रकृति की होती है क्योंकि ये न केवल पक्षों को बल्कि राज्य के राजस्व को भी प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, इन कार्यवाहियों को सीमित समय अवधि के भीतर निस्तारित करने का विधायी अधिदेश है।
6. परिस्थितियों को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वे यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34/35 के तहत उपरोक्त वाद का निर्णय, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर, सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद कानून के अनुसार करें।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा और यदि स्थगन देना ही पड़े, तो वह एक या दो दिन की अवधि से अधिक नहीं होगा। मामले का निर्णय कड़ाई से ऊपर इंगित समय-सीमा के संबंध में किया जाएगा।
8. उपरोक्त आदेशों के संदर्भ में रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”